प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–देहरादून) की दिनांक 12/05/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री मनीष कुमार उपजिलाधिकारी देहरादून, अध्यक्ष
2. श्री एल० एस० पवाँर उप प्रभागीय ....सदस्य
3. श्री मीनाक्षी उपाध्याय सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री मोहन लाल गुरुंग वार्ड सभासद क्षेत्र 90 ...91

उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून
उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
मोहन लाल गुरुंग पार्षद

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल

20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी़ सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद=देहरादून

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून / प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनगर) की दिनांक 12/05/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री विनोद कुमार उपजिलाधिकारी विकासनगर, अध्यक्ष
2. श्री एल0 एस0 पंवार उप प्रभागीय .... सदस्य
3. श्री पुष्पा पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री मती कुसुम पंवार बी0डी0सी0 क्षेत्र 39 ठाकुरपुर वि0ख0 स0

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल

श्रीमती-कुसुम पंवार क्षेत्र पंचायत सदस्या
39-ठाकुरपुर III

उपजिलाधिकारी विकासनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
विकासनगर वन प्रभाग
देहरादून

समाज कल्याण अधिकारी
वि0ख0 सहसपुर (देहरादून)

39 ठाकुरपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वि0 ख0 सहसपुर देहरादून
Kusum Panwar

20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी़ सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून
उप जिलाधिकारी
विकासनगर

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून
उप जिलाधिकारी
विकासनगर